न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा टी.सी. आवंटन
प्रकरण संख्या 68/2017 (GCMS: **2017/00163**)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

बनाम

1. **बलविन्द्र कौर** पुत्री चणण सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 27, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़**

दिनांक 08.07.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई, राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की हुई है। अप्रार्थी के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया की माता तेज कौर पत्नी चनण सिंह को रोही सूरतगढ के खसरा नम्बर 383/4 में 25 बीघा बारानी भूमि वर्ष 1970 में आराजी काश्त टी.सी. पर आवंटन की जाकर मौका पर कब्जा दे दिया गया था जब से आज तक भूमि का कब्जा काश्त पहले **अप्रार्थीया की माता के पास व उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद वर्ष 1991** से आज तक अप्रार्थीया के पास चला आ रहा है। उपनिवेशन विभाग वर्ष 1985 तक रहा तब तक पट्टा का नवीनीकरण होता रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ ने एकतरफा तौर पर बिना अप्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये दिनांक 03.06.2006 को जैर प्रकरण भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीया का रकबा रोही सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 383/4 में जो 25 बीघा रकबा टी.सी. पर आवंटन है वह सूरतगढ़ पैराफेरी में बताकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.02.2006 का हवाला देकर टी.सी. आवंटन नियमों की अवहेलना मानकर खारिज कर दिया, जिसको अलॉटी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई, जिसको माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 28.06.2017 को अनवानी बलविन्द्र कौर बनाम स्टेट के माध्यम से निरस्त कर, राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों के परिप्रक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकुल निर्णय पारित करने हेते निर्देशित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीया व उसके पूरे परिवार ने पिछले 54 वर्षों से भारी मेहनत व खर्चा लगाकर काबिल काश्त किया है। जीवन का अधार एक मात्र यही कृषि भूमि है, अप्रार्थी राजस्थान की मूल निवासी है, पेशा काश्तकारी व खातेदारी जारी करवाने की सारी शर्ते पूरी करती है, अप्रार्थीया गरीब व अनपढ़ काश्तकार है। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी अधिकारी नियमानुसार जारी का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में गिरदावरी सम्वत् 2026–29 (सन् 1969–72), सम्वत् 2038–41 (सन् 1981–1984) सम्वत् 2042(सन् 1985) पेश की है एवं सम्वत् 2053–2056 (सन् 1996–1999) की गिरदावरी भी पेश की है, जिसमें सम्वत् 2053 की गिरदावरी का ही अंकन है एवं शेष वर्षों की गिरदावरी व कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के पूर्व नि[illegible], अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ आदि के निर्णयों की प्रति भी पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत नगरपालिका **सूरतगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि** टीसी पट्टा धारक ने इस रकबा के टीसी पट्टा बहाल/नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया है। टी.सी. पट्टा धारक को टी.सी. लीज 1 साल के लिए ही जारी की गयी थी तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए ही किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि टी.सी. नवीनीकरण के लिए पट्टा धारक को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है तत्पश्चात उस प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट आती है। टी.सी. पट्टा धारक का पेशा काश्तकारी है या नहीं?, उसके पास रकबा सीलिंग सीमा से कम या ज्यादा है, तत्पश्चात टी.सी. लीज का नवीनीकरण किया जाता है। इस प्रकरण में ऐसा कतई नही है, इसलिए इस प्रकरण में टी.सी. लीज स्वतः ही खारिज हो चुका है।

उनका आगे यह भी कथन है कि टी.सी. पट्टा धारक ने नवीनीकरण अवधि की रकम/लीज राशि जो एक रूपया प्रतिबीघा नवीनीकरण से पूर्व जमा ही नहीं करवाई है, इसलिए भी टी.सी. लीज पट्टा निरस्त हो चुका है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 7 ख के अनुसार परिवार नियोजन तरीके ना अपनाने से अयोग्यता – इन शर्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा, जिसके आवंटन के लिए आवदेन की तारीख को तीन बच्चे हो और इस शर्त के प्रभाव में आने के पश्चात किया गया आवंटन [illegible] करने योग्य होगा। टी.सी. पट्टा धारक के तीन से ज्यादा बच्चे थे, इसलिए प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि टी.सी. आवंटन नियमों के अनुसार टी.सी. आवंटन पट्टा की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात या टी.सी. आवंटी के फौत हो जाने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस प्रकरण का टी.सी. लीज पट्टा धारक फौत हो चुका है व वारिसों के नाम से कभी भी टी.सी. आवंटन नहीं है। प्रथम टी.सी. आवंटन 1955 के नियम 6 के प्रावधानों के विपरीत है। सलाहकार समिति की राय के बिना आवंटन अधिकारी को टी.सी. आवंटन का अधिकार नहीं है इसलिए प्रथम टी.सी. आवंटन ही निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ का रकबा दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था। उपनिवेशन क्षेत्र में नगरपालिका पैराफेरी के रकबा के खातेदारी अधिकार अस्थाई आवंटन को जारी नहीं हो सकते है। टी.सी. आवंटी को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इसलिए अप्रार्थीया खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त रकबा जमाबन्दियों में शुरू से आराजी राज था प्रार्थी के नाम का गिरदावरियों में टी.सी. आवंटन का अंकन नहीं है। सन् 2006 के पश्चात तो यह रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ हो हस्तान्तरित हो चुका था तथा नगरपालिका सूरतगढ़ को अनेक सरकारी संस्थाओं के लिए रकबा की आवश्यकता है, इसलिए जैर प्रकरण का रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरण करने की प्रार्थना की है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ के खसरा नम्बर 383/4 की 25 बीघा बारानी भूमि तहसीलदार, राजस्व,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2006 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को दिये जाने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेश दिनांक 03.06.2006 के विरूद्ध अप्रार्थी बलविन्द्र कौर ने माननीय मण्डल में वर्ष 2007 को निगरानी पेश की थी, जबकि बलविन्द्र कौर के नाम न तो कभी टी.सी. आवंटन हुई है और न ही उनके द्वारा कभी टी.सी. आवंटन हेतु कोई आवेदन किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 383/4 की 25 बीघा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त हेतु (टी.सी.) पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग, जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में आती है और इस भूमि को न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तों व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2006 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल.आर. संख्या 8357/2007 पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 03.06.2006 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया था। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुपालन आदेश करने का क्षेत्राधिकारी इसी न्यायालय को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में तहसीलदार का आदेश दिनांक 03.06.2006 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत टी.सी. पर आवंटित भूमि को खारिज करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.06.2006 में वर्णित अधिसूचनाएं 15.12.2005 व 08.02.206 लागू न होती हो। इसलिए उक्त अधिसूचनाओं के तहत अप्रार्थी को आवंटित विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका परिधि में आ चुकी है, इसलिए उसका आवंटन निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी बलविन्द्र कौर की ओर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को जरिये अधिवक्ता पेश हुआ है, जिस पर केसर सिंह ने पंजाबी भाषा में हस्ताक्षर मौजूद है, जबकि प्रकरण में केसर सिंह किस हैसियत उपस्थित हुआ, उसका तेज कौर अथवा बलविन्द्र कौर से क्या सम्बन्ध है, कोई उल्लेख नहीं किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अंकित किया है **कि तेज कौर का स्वर्गवास दिनांक 27.08.1991 में हो गया था और दूसरी ओर तेज कौर के नाम से 1996 की सनद् पेश कर रहे है, जो कतई सम्भव नहीं है।** इसलिए अप्रार्थी बलविन्द्र कौर किसी प्रकार से टी.सी. आवंटन की हकदार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2006 से टी.सी. रकबा खारिज कर, उक्त विवादित भूमि का कब्जा नगरपालिका, सूरतगढ़ को दिया गया था, के तथ्यों को माननीय राजस्व मण्डल से बलविन्द्र कौर द्वारा छिपाया गया है तथा नगरपालिका, सूरतगढ़ से इकरार भी नहीं बनाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी बलविन्द्र कौर न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि तेज कौर का देहान्त दिनांक 27.08.1991 को होने के पश्चात बलविन्द्र कौर को उक्त विवादित रकबे के टी.सी. हेतु आवेदन करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तेज कौर के कौन कौन व कितने वारिस है, का कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी बलविन्द्र कौर का तेज कौर की किस प्रकार से उत्तराधिकारी है, से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तेज कौर के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र उपलब्ध है जिसमें **वर्ष 1972 एवं 1974 के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पर तेज कौर के हस्ताक्षर है, जबकि वर्ष 1975, 1976, 1980—83,86 के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पर अंगूठे के निशाने है,** जो उक्त प्रकरण में संदेह पैदा करता है कि उक्त नवीनीकरण **स्वयं तेज कौर द्वारा ही करवया गया है अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा।**

मैनें, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.06.2006 के द्वारा अप्रार्थीगण को सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 383/4 की 25 बीघा भूमि खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी एलआर संख्या 8357/2007/गंगानगर अनवानी बलविन्द्र कौर बनाम सरकार पेश हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड की गयी कि राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत आवंटन खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर को है न कि तहसीलदार को। इन्होंने तहसीलदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 03.06.2006 निरस्त कर प्रकरण न्यायालय को रिमाण्ड किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2017 के अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2006 को पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि **राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955** के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें।

जहां तक माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त पर आवंटित विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 383/4 की 25 बीघा के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर, जिला कलक्टर को है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 1970—71 में उक्त विवादित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत तेज कौर आवंटित हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नवीनीकरण दस्तावेजों के अनुसार 1986—87 तक तेज कौर के नाम उक्त विवादित भूमि आवंटित हुई थी तथा 1986—87 के पश्चात नवीनीकरण का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही बलविन्द्र कौर ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.11.2001 के अनुसार उक्त विवादित रकबा सूरतगढ़ नगरीय क्षेत्र में आता है। राजस्थान सरकार के परिपत्र (ग्रुप—6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 16.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवादित रकबे का वर्ष 1986–87 के पश्चात कभी नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी बलविन्द्र कौर ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या कोई कानूनी परिपत्र आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का अस्थाई आवंटन वर्ष 1986–87 के पश्चात नवीनीकरण किया गया हो। इस आधार पर अप्रार्थी का आवंटन स्वतः की खारिज हो गया है।

राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थी को अस्थाई काश्त हेतु एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो जाता है।

हस्तगत प्रकरण में उक्त विवादित रकबा 383/4 की 25 बीघा भूमि का, तेज कौर को वर्ष 1986–87 के पश्चात कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है और तेज कौर का दिनांक 27.08.1991 को देहान्त हो चुका है। तेज कौर के देहान्त के पश्चात उसके वारिसों के नाम पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी बलविन्द्र कौर ने पेश किया है कि जिससे ज्ञात होता हो कि अप्रार्थी बलविन्द्र कौर किसी प्रकार तेज कौर के वारिस है और तेज कौर के कुल कितने वारिस है।

टी.सी. भूमि आवंटी को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested

आरआरडी 2018 पेज नं. 36

A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरबीजे 199 पेज नं. 214

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted.

RRD 1992 Page No. 431

A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period – **an heir to a decased allottee can not claim renewal thereof as a matter of right – he should apply for a fresh allotment for himself on merits.**

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(77)राज–6/2008/15 दिनांक 16.03.2018 का पैरा नं. – 2 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ9(77)/राज–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 पूर्णतया व स्वतः स्पष्ट है जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की भूमि टी.सी. काश्त पर उस समय आवंटित की गई हो जब वह रकबा कॉलोनी क्षेत्र में था, परन्तु बाद में कॉलोनी क्षेत्र से बाहर हो गया हो तो वह व्यक्ति सीलिंग सीमा तक खातेदारी हक लेने का पात्र होगा यदि उस व्यक्ति का भूमि पर दिनांक 01.01.2001 के पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से **पाया** कि अप्रार्थीया बलविन्द्र कौर ने कथन किया है कि तेज कौर पत्नी चनण सिंह

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

को रोही सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 383/4 में 25 बीघा बारानी भूमि वर्ष 1970 में आराजी काश्त टी.सी. पर आंवटित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तेज कौर को वर्ष 1986—87 उक्त रकबे का नवीनीकरण हुआ है तथा तेज कौर का दिनांक 27.08.1991 को हो चुका है। **वर्ष 1991 के पश्चात बलविन्द्र कौर अथवा तेज कौर के किसी भी उत्तराधिकारी के नाम से कोई दस्तावेज/साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है और न ही अप्रार्थीया बलविन्द्र कौर ने कोई वारिसनामा/मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है और न ही पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध है।** उक्त **विवादित भूमि सन् 1986—87 के पश्चात नवीनीकरण न होने के कारण एवं मूल टी.सी. आवंटी तेजा कौर की मृत्यु दिनांक 27.08.1991 के पश्चात तेज कौर के किसी भी** उत्तराधिकारी **द्वारा अपने नाम से उक्त विवादित भूमि को टी.सी. अलॉट हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण, उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है।** जबकि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्ट) शर्त 1955 की धारा 7क के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता था।

अधीनस्थ पत्रावली में टी.सी. आवंटन तेज कौर के नाम से नवीनीकरण हुआ है जिसमें **वर्ष 1972 एवं 1974 के शपथ पत्र/नवीनीकरण प्रार्थना पत्र तेज कौर के हस्ताक्षर मौजूद है जबकि वर्ष 1975, 1976, 1980—83, 86 के शपथ पत्र/नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पर तेज के अंगूठा चिन्ह दर्शित है, जो उक्त नवीनीकरण में भी संदेह पैदा करता है कि पूर्व में नवीनीकरण तेज कौर स्वयं द्वारा करवाया गया है अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा।**

राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप—6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के ... ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है ... किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जा सकता है, ... सम्बन्ध में अप्रार्थी बलविन्द्र कौर ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अस्थाई कृषि पट्टा वर्ष 1986—87 के पश्चात अप्रार्थी तेज कौर के नाम से भी नवीनीकरण नहीं होने के कारण एवं टी.सी. आवंटी की दिनांक 27.08.1991 को मृत्यु के पश्चात भी अस्थाई कृषि पट्टा/टी.सी. आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.03.2018 के अनुसार भी 01.01.2001 से अप्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त न होने के कारण, उसे उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा—13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provison's. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

उपरोक्त, विवेचनानुसार **एवं कानूनी** प्रावधानों की पालना में सूरतगढ के खसरा नम्बर 383/4 की 25 बीघा कृषि भूमि का राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 की पालना में **मूल आवंटी तेज कौर के द्वारा वर्ष 1986—87 के पश्चात नवीनीकरण न करवाने एवं मूल आवंटी की मृत्यु दिनांक 27.08.1991 के पश्चात उनके वारिसों द्वारा कोई नवीनीकरण न करवाने, लगातार कब्ज काश्त न होने एवं उक्त विवादित रकबे का** नगरपालिका, **सूरतगढ़ की पैराफेरी में आने के कारण, अप्रार्थी बलविन्द्र कौर को कोई उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है,** इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि रोही सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 383/4 में 25 बीघा बारानी का कब्जा तुरन्त लेकर उचित व्यवस्था करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की स[illegible]ावली की सत्यापित प्रति, मूल पत्रावली के साथ रखी [illegible] तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.07.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर